उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय

ई–मेल/फैक्स

संख्या–पांच–111–आर(वरिष्ठता पदोन्नति)2016 इलाहाबाद–1

दिनांकः अप्रैल 19, 2017.

आदेश

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह एवं अपुपयुक्तो को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निर्देश याचिका संख्या 1844/2012 तथा रिट याचिका संख्या 31154/2016 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को औपबन्धिक रूप से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 14.04.2017 को अनुमोदित किये जाने की तिथि से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर इस शर्त के साथ पदोन्नति प्रदान की जाती है कि आधारभूत प्रशिक्षण में सफल नहीं होते है तो उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर की गयी पदोन्नति निरस्त समझी जायेगीः–

कमांक	वरिष्ठता सूची का कमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जनपद/इकाई	चयन का वर्ष
1	964	782120167	बालकिशन	रामचरन	रामपुर	2015

2- पदोन्नति पाये समस्त उपनिरीक्षकगण अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उपनिरीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानो के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी से संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनोदश दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियां संबंधित मुख्य आरक्षी के विरूद्ध विद्यमान न होः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मी को यह भी अवगत करा दिया जाय कि उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस)सेवा नियमावली–2015 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षण करना अनिवार्य है।

5. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित मुख्य आरक्षी ना0पु0 को उपनिरीक्षक ना0पु0 के पर पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित मुख्य आरक्षी के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6. यदि सम्बन्धित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया जाता है तो उसकी पदोन्नति निरस्त कर उसे मूल पद पर पदावनत करते हुये उसके विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

7. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नकः प्रारूप(क)

19.4.17

(अशोक कुमार)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक/
प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस अधीक्षक रामपुर।
2— पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन बरेली।
4— पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रारूप 'क' : स्वघोषणा–पत्र

मैं.————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ)
पुत्र————————निवासी————————थाना————————जनपद————————
——वर्तमान में(जनपद/इकाई) नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र——— का मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की(दण्ड और अपील नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है और न ही वर्तमान में निलंबित हूँ।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की(दण्ड और अपील नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लंबित है, जिसमें दिनांक————को आरोप पत्र दिया गया है।

(3) मेर विरूद्ध मु0अ0सं0————धारा————थाना————जनपद———— में लंबित है, जिसमें दिनांक——— को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अन्तिम अभियोग वर्तमान में ————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा –पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट(X) दिया जाय।